संख्या-69/2016/2549 ई-2/तेरह-2016-56/2015

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनउ::दिनांक 29 नवम्बर,2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये निर्धारित आबकारी नीति का क्रियान्वयन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-145/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2017-18, दिनांक 07 अक्टूबर,2016 तथा पत्र संख्या-जी-155/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2017-18, दिनांक 19 नवम्बर,2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-06/2016/427-ई-2/तेरह-2016-56/2015, दिनांक 17 फरवरी,2016 द्वारा वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 के लिये आबकारी नीति का निर्धारण किया गया है। उक्त नीति के प्रस्तर-7.5 में यह व्यवस्था है कि वर्ष 2017-18 के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथोचित समय पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा। उक्त व्यवस्था का उल्लेख करते हुये आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 के प्रस्तर-1 में शासनादेश दिनांक 17 फरवरी,2016 के प्रस्तर-5.2(क)(6) में माडल शाप के व्यवस्थापन विषयक प्रस्तावित संशोधन पर अनुमोदन तथा पत्र के प्रस्तर-2 में मार्च,2017 से पूर्व ही व्यवस्थापन करा लिये जाने से राजस्व प्राप्त हो जाने एवं माह फरवरी,2017 में उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन की संभावना के दृष्टिगत वर्ष 2017-18 हेतु आबकारी दुकानों का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यवस्थापन माह नवम्बर,2016 में प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

3- आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 में किये गये प्रस्तावों पर सम्यक् विचारोपरान्त माडल शाप के व्यवस्थापन विषयक प्रस्तावित संशोधन को औचित्यपूर्ण न होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया है। राजस्वहित और माह फरवरी,2017 में उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन की संभावना के दृष्टिगत आप द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार माह नवम्बर,2016 से वर्ष 2017-18 हेतु आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन प्रारम्भ करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।